उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 82वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 16.05.2023

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.05.2023 को सम्पन्न हुई 82वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त –अध्यक्ष
2. श्री नरेन्द्र भूषण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सदस्य सचिव
3. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सहायक सदस्य/सचिव
4. डा0 अमर सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन लखनऊ, मण्डल –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग)
5. श्री जी0एस0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग)
6. श्री अरूणेश कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव, आवास बन्धु –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)
7. श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 –सदस्य
   (प्रतिनिधि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0)

विशेष आमंत्री:–

1. सुश्री निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन।
2. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
3. श्री आर0आर0 सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
5. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
6. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा।
7. श्री राकेश मिश्रा, मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा।
8. श्री विनय प्रकाश, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
9. श्री ए0के0 पाठक, मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीडा।
10. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
11. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी, यूपीडा।
12. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
13. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
14. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
15. श्री डी0पी0 सिंह, स्टाफ आफिसर अध्यक्ष एवं विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
16. श्री0एन0एन0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक, यूपीडा।
17. श्री दयाराम सत्यार्थी, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
18. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
19. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
20. श्री के0के0 अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद नियोजक), यूपीडा।
21. श्री कमल कुमार, सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
22. श्री अतुल अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 82वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.03.2023 को सम्पन्न हुई 81वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।**

निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 81वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.03.2023 को सम्पन्न 81वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।**

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.03.2023 को सम्पन्न हुई 81वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना झांसी नोड एवं चित्रकूट नोड के अन्तर्गत भू–आवंटन की विक्रय दर निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव।**

डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना झांसी नोड एवं चित्रकूट नोड के अन्तर्गत भू–आवंटन की विक्रय दर निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा में झांसी नोड एवं चित्रकूट नोड हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि की दरें निर्धारित करने हेतु यूपीडा में एक कास्टिंग समिति गठित की गई थी। चूँकि यूपीसीडा द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि की प्रक्रिया यूपीडा डिफेन्स कॉरिडोर में भूमि आवंटन प्रक्रिया के लगभग समान है, अतः यह निर्णय लिया गया कि यूपीडा द्वारा भी यूपीसीडा में प्रचलित विकसित भूमि की दर निर्धारण प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जायें एवं भूमि की लागत में इन्फ्रास्ट्रेक्चर पर किये जाने वाले व्यय, प्रशासनिक व्यय, आकस्मिक व्यय, अनुरक्षण लागत आदि विभिन्न मदों को सम्मिलित करते हुये विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जायें। कास्टिंग समिति द्वारा की गई गणना के अनुसार झांसी नोड में दरें प्रतिवर्ग मीटर रू0 1402/– आकलित की गई एवं चित्रकूट नोड हेतु प्रतिवर्ग मीटर रू0 4329/– आकलित की गई। तदोपरान्त आकलित दरों का यूपीसीडा की प्रचलित दरों से तुलना की गई और पाया गया कि यूपीसीडा की झांसी नोड में प्रतिवर्ग मीटर भूमि का मूल्य रू0 1800/– है, जबकि यूपीडा डिफेन्स कॉरिडोर झांसी नोड का मूल्य आंकलन रू0 1400/– प्रतिवर्ग मीटर आया है। जोकि यूपीसीडा से कम है। इसी प्रकार चित्रकूट में यूपीसीडा के दरें रू0 950/– प्रतिवर्ग मीटर है, जबकि यूपीडा चित्रकूट नोड की दरें रू0 4329/– आ रही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि यूपीडा की दरे चित्रकूट नोड हेतु बहुत अधिक है।

दरों में भिन्नता के दृष्टिगत उपरोक्त कारणों से यूपीडा निदेशक मण्डल से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि झांसी नोड की भूमि का विक्रय मूल्य रू0 1400/– प्रतिवर्ग मीटर रखा जाये एवं चित्रकूट नोड में यूपीसीडा के समकक्ष यह मूल्य रू0 950/– प्रतिवर्ग मीटर निर्धारित किया जाये। **चूँकि चित्रकूट में प्रति वर्ग मीटर दर यूपीसीडा की दरों से बहुत**

अधिक आकलित हो रही है (रू0 4329–950=3379 प्रतिवर्ग मीटर)। अतः जो अतिरिक्त धनराशि है, उसका व्यय भार आवंटियों पर धारित न करने हेतु शासन से अनुमति लिया जाना उचित होगा।

मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर) श्री राकेश मिश्रा द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यह दरें क्रमशः रू0 370 प्रतिवर्ग मीटर झाँसी नोड एवं रू0 442/– प्रतिवर्ग मीटर चित्रकूट नोड पर है एवं डिफेन्स कॉरिडोर में उपरोक्त दोनो नोड में वर्तमान दरों पर भी निवेशकों द्वारा भूमि आवंटन की मॉग नहीं की गई है जबकि लखनऊ, अलीगढ एवं कानपुर नोड में पर्याप्त संख्या में निवेशक अभिरूचि दिखा रहें है।

उपरोक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निर्धारित झांसी नोड एवं चित्रकूट नोड दरों में परिवर्तन किया जाना डिफेन्स कॉरिडोर निवेशको के अभिरूचि पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः डिफेन्स कॉरिडोर में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये पूर्व प्रचलित झांसी नोड की दरें जो यूपीडा निदेशक मण्डल की 67वीं बोर्ड बैठक एवं चित्रकूट नोड की दरें जो यूपीडा निदेशक मण्डल की 70वीं बोर्ड बैठक में निर्धारित की गई थी, यथावत् रखी जायें।

एजेण्डा बिन्दु–04:– **वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये यूपीडा की परियोजनावार आय–व्यय प्राविधान एवं उसके समक्ष सम्भावित व्यय अनुमान।**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भूमि विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि के सम्बन्ध में चर्चा की गई, चर्चा के दौरान वित्त नियंत्रक, यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भूमि विक्रय से अनुमानित धनराशि रू0 31.03 करोड़ एवं लीज रेन्ट के मद में अनुमानित धनराशि रू0 10.33 करोड़ प्राप्त होना सम्भावित है। जिसे यूपीडा की राजस्व आय में सम्मिलित किया जाना है।

उपरोक्त धनराशि को राजस्व/पूँजीगत आय में सम्मिलित किये जाने का संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए यूपीडा की परियोजनावार आय–व्यय प्राविधान एवं उसके समक्ष सम्भावित व्यय अनुमान का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) के अधिकारियों/कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियत वेतन पर नियुक्ति) के विरूद्ध प्राप्त शिकायती–पत्रों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त के सम्बन्ध में एजेण्डा बिन्दु द्वारा उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) के अधिकारियों/कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियत वेतन पर नियुक्ति) के विरूद्ध प्राप्त शिकायती–पत्रों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर चर्चा की गई एवं इस सदंर्भ में निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रदेश सरकार में इस प्रकार के शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या– 13/1/97–का0–1/1997 दिनांक 09.05.1997 द्वारा समूह ''क'' (श्रेणी–1) के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती–पत्रों एवं शासनादेश दिनांक 01.08.1997 द्वारा समूह 'ख' 'ग' एवं 'घ' के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रकिया निर्धारित की गई है।

Manoj

उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त शासनादेशों एवं तद्विषयक सहपठित अन्य शासनादेशों को यूपीडा में लागू किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई है एवं निर्देशित किया गया है, कि भविष्य में बेनामी शिकायती पत्रों अथवा शरारती तत्वों द्वारा विभागीय छवि को खराब करने के लिये दिये गये पत्रों को निस्तारित करने के लिये उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत क्रियान्वयनः परियोजना के ग्रुप–I, II, III एवं IV के कन्सेशनेयरों को यूपीडा द्वारा समय–समय पर देय वी.जी.एफ. धनराशि के सम्बन्ध मे अद्यतन स्थिति।**

उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् संकल्प पारित किया गयाः–

निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 16 मई, 2023 को सम्पन्न बैठक के एजेण्डा बिन्दु–06 पर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत विकास के लिए यूपीडा द्वारा समय–समय पर कन्सेशनेयरों को दये इक्विटी सपोर्ट हेतु ग्रांट राशि (बी0जी0एफ0 धनराशि) के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति पर प्रस्तुत प्रस्तव को संज्ञान में लिया गया एवं समय–समय पर विषयान्तर्गत प्रगति के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को सूचित करने की अपेक्षा की गई।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित जनपद–रायबरेली के ग्रामों की ग्रामसभा भूमि पर अवस्थित निर्माणों के सापेक्ष उनकी मूल्यांकित धनराशि का भुगतान कर अवरोध मुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलास्तरीय" जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजन) क्रय की दर व कुल मूल्य अनुमोदन समिति " की बैठक दिनांक– 24.03.2023 द्वारा परिसम्पत्तियों की संस्तुत मूल्यांकित धनराशि/प्रस्ताव के मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल,लखनऊ के अनुमोदन दिनांक– 05.04.2023 के क्रम में यूपीडा स्तर की समिति की संस्तुति दिनांक–02.05.2023 के बोर्ड की प्रस्तावित बैठक दिनांक–16.05.2023 में अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित जनपद–रायबरेली के ग्रामों की ग्रामसभा भूमि पर अवस्थित निर्माणों के सापेक्ष उनकी मूल्यांकित धनराशि का भुगतान कर अवरोध मुक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलास्तरीय" जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजन) क्रय की दर व कुल मूल्य अनुमोदन समिति" की बैठक दिनांक–24.03.2023 द्वारा परिसम्पत्तियों की संस्तुत मूल्यांकित धनराशि/प्रस्ताव के मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल,लखनऊ के अनुमोदन दिनांक–05.04.2023 के क्रम में यूपीडा स्तर की समिति की संस्तुति दिनांक–02.05.2023 के बोर्ड की प्रस्तावित बैठक दिनांक–16.05.2023 का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **पूर्वाचल एक्सप्रेसवे परियोजना पर रेस्ट एरिया के विकास के कार्य की अद्यतन स्थिति के विषय में निदेशक मंडल को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल को मुख्य अभियन्ता द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वे साइड एमिनिटीज़ के संबंध में अवगत कराया गया कि पूर्व में कंसल्टेंट द्वारा प्रत्येक यूनिट की लागत 32.98 करोड़ प्रस्तावित की गयी थी। दिनांक 3 मई 2023 को शासन में सम्पन्न बैठक में उन्हें एमिनिटीज़ के पूर्व प्रस्तावित क्षेत्रफल को कम करते हुए तदानुसार लागत कम करने के निर्देश दिये गये थे।

बोर्ड बैठक में बताया गया कि कंसलटेंट द्वारा उक्त निर्देशों के क्रम में क्षेत्रफल में कमी करते हुए अब लगभग 16 करोड़ प्रति यूनिट लागत प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त पर निदेशक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कम की गई लागत के अनुसार कंसलटेंट डिज़ाइन एवं ड्राइंग का अविलंब अंतिमीकरण करना सुनिश्चित किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **WORK PLAN 2023-2024 FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE WORKS AT UTTAR PRADESH DEFENCE INDUSTRIAL CORRIDOR NODES**

कार्यवाही / निर्णय:–' निदेशक मण्डल द्वारा WORK PLAN 2023-2024 FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE WORKS AT UTTAR PRADESH DEFENCE INDUSTRIAL CORRIDOR NODES के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर टोल फीस एकत्र करने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि दिनांक 27.12.2022 को आहूत यूपीडा निदेशक मण्डल की 79वीं बैठक में प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 06 एम्बुलेन्स व 12 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु एजेन्सी के चयन के लिए दिनांक 24.01.2023 को ई–टेंडर पोर्टल के माध्यम से निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं। प्री–बिड मीटिंग हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 03.02.2023 को मात्र 01 इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा प्रतिभाग किया गया था तथा प्री–बिड क्वेरीज़ का स्पष्टीकरण एवं आवश्यक कोरिजेन्डम दिनांक 13.02.2023 को ई–टेंडर पोर्टल पर अपलोड किया गया था। बिड जमा करने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 27.02.2023 तक मात्र 01 बिड प्राप्त होने के कारण बिड ड्यू डेट को बढ़ा कर 13.03.2023 निर्धारित किया गया था, परंतु निर्धारित तिथि तक कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई थी। तदोपरान्त निविदा जमा करने की तिथि को अग्रेत्तर 23.03.2023 तथा 10.04.2023 तक बढ़ाने के उपरान्त भी कोई बिड प्राप्त न होने के कारण बिड ड्यू डेट को पुनः 20.04.2023 तक बढ़ाया गया था।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि बिड ड्यू डेट को उपरोक्तानुसार बार–बार बढ़ाने के उपरान्त भी बिड प्राप्त न होने के कारण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में आहूत 'डेजिगनेटेड कमेटी' की बैठक दिनांक 13.04.2023 में विचारोपरान्त निविदा में रू0 100.00 करोड़ (Threshold Bid Value) से कम की बिड को निरस्त करने के प्राविधान को हटाने का निर्णय लिया गया था, साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि रू0 100.00 करोड़ की धनराशि को 'Annual Potential Collection' इंगित करते हुए निविदाकर्ताओं को सूचित कर दिया जाए कि इस संबंध में उनके द्वारा स्वयं मूल्यांकन करना होगा। 'डेजिगनेटेड कमेटी' की उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि निविदा में वित्तीय वर्ष 2022–23 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023) हेतु निर्धारित टोल की संशोधित दरों से भी निविदाकर्ताओं को सूचित कर दिया जाये।

निदेशक मण्डल को 'डेजिगनेटेड कमेटी' द्वारा उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 20.04.2023 को जारी ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रकाशित निम्नलिखित कोरिजेन्डम से अवगत कराया गया:–

<table>
<tr><td>Ref. no./ Page no.</td><td>Provision as per RFQ-cum-RFP Document</td><td>Modified Provision</td></tr>
<tr><td>Clause no: 1.1.1/ Page no. 8</td><td>Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA), on behalf ....
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Name of the Project</td><td>Number of Toll Plazas</td><td>Bid Parameter (In Rs. Cr.)</td></tr>
<tr><td>Collection of User Fees and Operation of Toll Plazas along with deployment of 6 number of Ambulances and 12 number Patrol Vehicles along with required personnel manning these vehicles along the Bundelkhand Expressway.</td><td>2 Main Toll Plazas and 11 Ramp Plazas (120 Lanes)</td><td>Minimum Threshold - Rs.100 Crore (First year of contract)

The period of Contract shall be 1 (One) year. Extendable for a maximum period of additional 3 (Three) months, at the discretion of the Authority</td></tr>
</table></td><td>Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA), on behalf...............................
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Name of the Project</td><td>Number of Toll Plazas and Period of Contract</td><td>Annual Potential Collection</td></tr>
<tr><td>Collection of User Fees and Operation of Toll Plazas along with deployment of 6 number of Ambulances and 12 number Patrol Vehicles along with required personnel manning these vehicles along the Bundelkhand Expressway.</td><td>2 Main Toll Plazas and 11 Ramp Plazas (120 Lanes)

The period of Contract shall be 1 (One) year. Extendable for a maximum period of additional 3 (Three) months, at the discretion of the Authority</td><td>Rs.100 Crore (Rs. One Hindered Crores)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Clause no: 1.1.4/ Page no. 9</td><td>The Bidders are required to quote for the first-year revenue committed to UPEIDA. The Bidders are required to quote equal to or above the amount specified in clause 1.1.1 above "Minimum Threshold". The assessment of actual costs, shall have to be made by the Bidders.</td><td>The Bidders are required to quote for the first-year revenue committed to UPEIDA. 'Annual Potential Collection' (the "APC") has been indicated in Clause 1.1.1 above. The assessment of actual quantum of user fee collection, however, will have to be made by the Bidders.</td></tr>
<tr><td>Clause no: 3.4.3/ Page no. 23</td><td>A Bidder, who offers the Revenue Share in the Bid lower than Rs 100 crore (Rupees One Hundred crore) for the first year of the contract, the Bid of such Bidder shall be summarily rejected.</td><td>Deleted</td></tr>
<tr><td>SCHEDULE – I(b)/ Page 131</td><td>Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount on Base Toll Rates for.......... ....
...............................</td><td>Revised SCHEDULE – I(b) indicating Toll Rates of all vehicle categories with 25% discount for the year F.Y. 2023-24 for Bundelkhand Expressway is Appended herewith.</td></tr>
</table>

निदेशक मण्डल, यूपीडा द्वारा उपरोक्तानुसार जारी उपर्लिलखित कोरिजेन्डम से सहमत होते हुये कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया था कि निविदाकर्ताओं को संशोधित निविदा शर्तों के अनुसार बिड जमा करने हेतु उचित समय उपलब्ध कराने के लिये बिड ड्यू डेट को दिनांक 20.04.2023 से बढ़ाते हुये दिनांक 15.05.2023 को अपरान्ह 01:00 बजे तक तथा बिड खोलने की तिथि को बढ़ा कर 16.05.2023 निर्धारित किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 15.05.2023 को अपरान्ह 01:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल पर मात्र दो निविदायें प्राप्त हुई हैं। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि निविदा में और अधिक प्रतिस्पर्द्धी निविदायें प्राप्त करने के उद्देश्य से निविदा जमा करने की तिथि को पुनः बढ़ाते हुये 23.05.2023 को अपरान्ह 01:00 बजे तथा बिड खोलने की तिथि को बढ़ा कर 24.05. 2023 को अपरान्ह 03:30 बजे निर्धारित कर ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रकाशित कर दिया गया है।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निदेशित किया गया कि निविदा जमा करने की संशोधित तिथि दिनांक 23.05.2023 को अपरान्ह 01:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल पर प्राप्त निवदाओं को निर्धारित तिथि 24.05.2023 को खोल कर निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा मूल्यांकन की अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।**

वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक (गंगा एक्सप्रेसवे) ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिये पी0पी0पी0 कन्सेशनायर (ग्रुप–**I, II, III & IV**) को उनके कन्सेशन एग्रीमेन्ट के क्लॉज 16.2.1 के अन्तर्गत पी0आई0यू0 एवं इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर की संस्तुति के उपरान्त यूपीडा द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत किया गया है, जो निम्नवत है:–

GROUP-I (18Nos.)	
Change Of Scope Notice-1 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 373/UPEIDA/2593-I/Tech. Dated: 19 April, 2023	
Sl. No.	Description of Works
1	2
1	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 9+323 and 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
2	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 16+191 and 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
3	Construction of 1x7mx4m SVUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 22+765 and 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
4	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 23+950 and 3mx3m Box Culvert on Service Road (LHS+RHS) NOT to be Constructed.
5	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 25+135 and 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
6	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 28+778 and 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
7	Construction of 1x7mx3m PUP at Sch "B" Chainage 37+493, village Mutadpur in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert.
8	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 40+982 and 3mx3m Box Culvert on Service Road (LHS+RHS) NOT to be Constructed. Service Road, RHS Ch. 40+045 to Ch. 41+405 i.e. 1360 meters NOT to be Constructed.
9	Construction of 1x12mx4.5m LVUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert at Ch.48+400 and 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
10	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 51+400. Additional Service Road, LHS from Ch. 51+400 to Ch. 51+625 to be constructed. 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
11	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 55+218. 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
12	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 56+850. 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
13	Construction of 1x12mx4.5m LVUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert at Ch. 57+700. 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
14	Additional LVUP at Ch. 60+650 under COS as Pooth Road (Bhadsayana-Bahadurgarh) was upgraded to 7.0 m Wide Black Top Road.
15	Construction of 1x7mx3m PUP in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert, Ch. 74+860. 3mx3m Box Culvert on Service Road NOT to be Constructed.
16	Construction of 1x7mx4.0m SVUP. Service Road, RHS from Ch. 76+855 to Ch. 76+945, i.e. 90 meters NOT to be Constructed.

17	Additional LVUP at Ch. 86+620. Service Road, RHS from Ch. 86+600 to Ch. 87+300, i.e. 700 meters NOT to be Constructed.
Change Of Scope Notice-2 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 683/UPEIDA/2593-I/Tech. Dated: 02 May, 2023	
1	1. Provide a 1x7mx3m PUP at Ch. 49+500. 2. Extension of Service Road from Ch. 48+760 to Ch. 49+669 i.e. 909 meters on RHS of Expressway stands withdrawn. 3. Construction of 1x6mx2m culvert on Additional Service Road on RHS stands withdrawn.

GROUP-II (04 Nos.)

Change Of Scope Notice-1 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 8634/UPEIDA/2593/Tech. Dated: 27 Feb., 2023

Sl. No.	Description of Works
1	2
1	Construction of Flyover Span of 2x30 meters in place of Double Cell VUP, 2x10m as provisioned under Sch "B" at Ch.248+627.

Change Of Scope Notice-2 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 8724/UPEIDA/2593/Tech. Dated: 01 March, 2023

Sl. No.	COS	Project Chainage	Name of Line
1	2	3	4
1	Protection Structures for GAIL Pipeline	142+880	KMKR Pipeline
2	Protection Structures for GAIL Pipeline	147+450	Oraya Babrala Pipeline

Change Of Scope Notice-3 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 687/UPEIDA/2593-II/Tech. Dated: 02 May, 2023

Sl. No.	Description of Works
1	2
1	Construction of Half-Diamond Interchange in place of Sch "B" provisioned 2x30m Flyover at Ch.207+484.

GROUP-III (15 Nos.)

Change Of Scope Notice-1 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 8630/UPEIDA/2593/Tech. Dated: 27 Feb., 2023

Sl. No.	Description of Works
1	2
1	Construction of 1x7mx3m PUP at Sch "B" Chainage 365+663, village Maholia, District Unnao in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert.
Change Of Scope Notice-2 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 8632/UPEIDA/2593/Tech. Dated: 27 Feb., 2023	
1	Construction of 1x7mx3m PUP at Chainage 374+619 in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert at Ch. 374+600.
Change Of Scope Notice-3 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 8725/UPEIDA/2593/Tech. Dated: 01 March, 2023	
1	Construction of Protection Structure for GAIL Pipeline crossing Ganga Expressway at Ch. 289+950.
Change Of Scope Notice-4 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 690/UPEIDA/2593-III/Tech. Dated: 02 May, 2023	
1	Construction of Additional SVUP 1x7mx4m at Ch. 439+700 under COS.
2	Upgrade 1x3mx3m Box Culvert located at Concession Agreement Chainage 307+818 to 1x7mx3m PUP at Chainage 307+600 while descoping Service Road, RHS 1x3mx3m Box Culvert at Concession Agreement Chainage 307+818.
3	Construction of Additional PUP 1x7mx3m at Ch. 330+450 under COS.
4	Construction of Additional SVUP 1x7mx4m at Ch. 340+300 under COS.

5	Upgrade 1x3mx3m Box Culvert located at Concession Agreement Chainage 355+735 to 1x7mx4m SVUP at Chainage 355+730 while descoping Service Road, LHS and Service Road-RHS 1x3mx3m Box Culvert at Concession Agreement Chainage 355+735.
6	Construction of Additional PUP 1x7mx3m at Ch. 373+100 under COS.
7	Construction of Additional PUP 1x7mx3m at Ch. 381+030 under COS.
8	Construction of Additional SVUP 1x7mx4m at Ch. 390+979 under COS.
9	Construction of Additional PUP 1x7mx3m at Ch. 416+690 under COS.
10	Construction of Additional PUP 1x7mx3m at Ch. 427+050 under COS.
11	Upgrade 1x3mx3m Box Culvert located at Concession Agreement Chainage 436+263 to 1x7mx3m PUP at Chainage 436+338 while descoping Service Road, LHS 1x3mx3m Box Culvert at Concession Agreement Chainage 436+263.
12	Construction of Additional PUP 1x7mx3m at Ch. 439+700 under COS.

GROUP-IV (15 Nos.)	
Change Of Scope Notice-1 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 370/UPEIDA/2593-IV/Tech. Dated:19 April, 2023	
Sl. No.	Description of Works
1	2
1	Construction of 1x7mx3m PUP at Sch "B" Chainage 528+000, village Mirzapur Aihari, District Raibareli in place of Sch "B" provisioned 3mx3m Box Culvert.
2	Shifting of Interchange from Chainage 517+708 to Chainage 517+150 and Change of Scope Notice Under Article 16.2.1 of Concession Agreement for construction of 2x12mx5.5m VUP at Chainage 517+708.
3	Construction of 1x7mx4m SVUP at Chainage 503+300, Ubarni, Service Road on LHS NOT to be Constructed.
4	3mx3m Box Culvert provisioned at Ch.449+265 to be Upgraded to 1x7x3m PUP at Ch. 449+100, Service Road 3mx3m Box Culvert on LHS NOT to be Constructed.
5	SVUP 1x7x4m at Ch.457+950 under COS acceptable on account of heavy traffic and this being a Black Top Road. Service Road, LHS from Ch.457+500 to Ch.457+880, 380meters and 2mx2m Box Culvert at Ch.457+660 NOT to be Constructed.
6	Additional SVUP 1x7x4m under COS at Ch.458+610.
7	Additional SVUP 1x7x4m under COS at Ch.461+100.
8	3mx3m Box Culvert to be upgraded to 1x7x4m SVUP at Ch.466+180. Service Road, LHS from Ch.465+290 to Ch.466+900 i.e. 1610meters NOT to be Constructed along with 3mx3m Box Culvert on Service Road, LHS+RHS at Ch.465+796 and 2mx2m Box Culvert on Service Road, LHS at Ch. 466+490 NOT to be Constructed.
9	3mx3m Box Culvert to be upgraded to 1x7x3m PUP at Ch. 469+500. 3mx3m Box Culvert on Service Road, RHS at Ch. 469+720 NOT to be Constructed.
10	3mx3m Box Culvert to be upgraded to 1x7x3m PUP at Ch.507+720. 3mx3m Box Culvert on Service Road, LHS+RHS at Ch. 507+700 NOT to be Constructed along with Service Road, LHS from Ch.507+150 to Ch.508+380 i.e. 1230meters NOT to be Constructed.
11	3mx3m Box Culvert to be upgraded to 1x7x3 m PUP at Ch. 511+279. 3mx3m Box Culvert on Service Road, LHS at Ch.511+279 NOT to be Constructed along with Service Road, RHS from Ch. 511+600 to Ch. 511+900 i.e. 300meters NOT to be Constructed.
12	3mx3m Box Culvert to be upgraded to 1x7x3m PUP at Ch.530+300. 3mx3m Box Culvert on Service Road, LHS+RHS at Ch.530+330 NOT to be Constructed along with Service Road, LHS from Ch.539+545 to Ch.540+365 i.e. 820 meters NOT to be Constructed.
13	3mx3m Box Culvert to be upgraded to 1x7x3m PUP at Ch. 541+970. 3mx3m Box Culvert on Service Road, LHS+RHS at Ch.541+860 NOT to be Constructed along with

	Service Road, LHS from Ch.540+905 to Ch.542+015 i.e. 1110meters NOT to be Constructed.
14	Additional SVUP 1x7x4m to be provided at Chainage 547+720.
Change Of Scope Notice-2 Under Article 16.2.1 of Concession Agreement vide Ref. No. 647/UPEIDA/2593-IV/Tech. Dated: 01 May, 2023	
1	Provide a 1x7mx4m SVUP at Chainage 463+200.

अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा डी0पी0आर0 में प्राविधानित दरों पर अनुमानित व्ययभार की गणना की गयी है, जो ग्रुपवार क्रमशः निम्नवत् हैः–

ग्रुपः I –रू0 31.95 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.970 प्रतिशत)।

ग्रुपः II– रू0 71.92 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1.831 प्रतिशत)।

ग्रुपः III –रू0 25.51 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.702 प्रतिशत)।

ग्रुपः IV –रू0 39.15 करोड़ (प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1.110 प्रतिशत)।

यह भी अवगत कराया गया कि Change of Scope Notice निर्गत होने पश्चात् विकासकर्ताओ द्वारा कार्य का आगणन गठित किया जायेगा, जिसका इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त अथॉरिटी द्वारा वास्तविक व्यय भार आकलित किया जायेगा जिसे निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।

उक्त समस्त निर्गत Change of Scope Notices को निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाते हुए अनुमोदन निवेदित है।

निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के ग्रुप–I, II, III & IV के विकासकर्ताओं को उपरोक्त निर्गत किए गये Change of Scope Notices पर विचार करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत पी0आई0यू0–III के मुख्यालय को जनपद रायबरेली से जनपद उन्नाव/संरेखण के निकट स्थानान्तरित किये जाने के सम्बंध में।**

यूपीडा बोर्ड की 80वीं बैठक दिनांक 21.02.2023 में पी0आई0यू0–III मुख्यालय को रायबरेली से जनपद उन्नाव/संरेखण के निकट स्थानान्तरित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में पी0आई0यू0–III रायबरेली के अधिशासी अभियंता द्वारा नियमानुसार कोटेशन प्राप्त किया गया एवं न्यूनतम कोटेशनदाता की दरें रू0 28000/= प्रति माह 5% वार्षिक वृद्धि के साथ (बिजली, पानी देयक रहित) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पी0आई0यू0–III रायबरेली में पूर्व में रू0 30000/= प्रति माह 5% वार्षिक वृद्धि के साथ (बिजली, पानी देयक रहित) भुगतान किया जाता रहा है।

यूपीडा के पत्रांक 777/1215/यूपीडा/2022–23/तक0 दिनाँक 09.05.2023 द्वारा न्यूनतम कोटेशनदाता के आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड, सरोसा–भरोसा, लखनऊ स्थित मकान में कार्यालय भवन रायबरेली को स्थानान्तरित करने के लिए पी0आई0यू0–III के अधिशासी अभियंता को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

प्रकरण निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाया गया।

उपरोक्त कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–13:–

Approval of Terms of Reference (TOR) for RFQ-cum-RFP for calling tenders for engagement of "Project Development and DPR Consultant" for "Chitrakoot Link Expressway".

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु परियोजना विकास एवं डीपीआर परामर्शी का चान आर0एफ0क्यू0–आर0एफ0पी0 आधार पर करने हेतु प्रस्तुत किए गए टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी0ओ0आर0) का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिए गए की इस आधार पर तत्काल निविदा संबंधित कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

एजेण्डा बिन्दु–14:–

जनपद–अलीगढ़ में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय फेज (Second Phase) में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 104.9795 हे0 भूमि के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल द्वारा जनपद–अलीगढ़ में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय फेज (Second Phase) में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 104.9795 हे0 भूमि के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्य की सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–15:–

जनपद–कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के ग्राम रामसारी एवं जहांगीराबाद में स्थित घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड की भूमि को उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु अन्तर्विभागीय अन्तरण के माध्यम से हस्तांतरण के सम्बंध में।

निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तहसील घाटमपुर के ग्राम रामसारी एवं जहांगीराबाद में स्थित घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड की भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिक्वीडेटर नियुक्त किया गया है और लिक्वीडेटर की नियुक्ति/कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही भूमि को उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।

एजेण्डा बिन्दु–16:–

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज– 01, 02, 06 एवं 08 में स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स् एवं फूड कियोस्क के संचालन हेतु वर्तमान में अनुबंधित फर्म मेसर्स श्री श्याम इन्टरप्राइजेज की अनुबंध अवधि पूर्व नियम एवं शर्तों पर नई एजेन्सी के चयन तक विस्तारित किये जाने के संबंध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज–01, 02, 06 एवं 08 स्थित टॉयलेट ब्लॉक्स् एवं फूड कियोस्क के संचालन हेतु पूर्व में ई–निविदा के माध्यम से अधिकतम वित्तीय निविदा (प्रतिमाह रू0 22,500.00 प्रति ब्लॉक) प्रस्तुत करने वाली फर्म मेसर्स श्री श्याम इन्टरप्राइजेज को चयनित कर दिनांक 12.04.2022 को अनुबंध निष्पादित किया गया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध की अवधि 01 वर्ष की थी जिसे प्राधिकरण की संतुष्टि की दशा में उन्हीं नियम एवं शर्तों पर 01 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में ट्रैफिक बढ़ जाने के दृष्टिगत अनुबंध अवधि विस्तारित किये जाने के स्थान पर नई निविदा आमंत्रित कर नई एजेन्सी के चयन हेतु प्राधिकरण द्वारा ई–टेंडर के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गई थीं, जिसके क्रम में दिनांक 16.05.2023 तक इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा निविदाऐं ई–टेंडर पोर्टल पर जमा करनी हैं तथा प्राप्त निविदाओं को 17.05. 2023 को सांय 03:30 बजे खोला जाना है। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकनों पश्चात उक्त टॉयलेट ब्लॉक्स् एवं फूड कियोस्क के संचालन हेतु नई एजेन्सी का चयन किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि उक्त टॉयलेट ब्लॉक्स् एवं फूड कियोस्क के संचालन हेतु नई एजेन्सी का चयन में लग रहे समय के कारण पूर्व चयनित एजेंसी मेसर्स श्री श्याम इन्टरप्राइजेज की अनुबंध अवधि को 30.05.2023 तक अथवा नई एजेन्सी के चयन एवं टॉयलेट ब्लॉक्स् के हस्तान्तरण की तिथि तक बढ़ा दिया गया है जिसकी सूचना मेसर्स श्री श्याम इन्टरप्राइजेज को प्राधिकरण के पत्र सं0 715/यूपीडा/2021/2160 दिनांक 03.05.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त से सहमत होते हुये कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–17:–

"यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V पर स्थित टॉयलेट ब्लाक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख–रखाव हेतु ई–टेन्डर पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर अधिकतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाली एजेंसी के चयन पर अनुमोदन के संबंध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V में 'चेंज ऑफ स्कोप' के अर्न्तगत वे साइड एमेनिटीस के परिसर में टॉयलेट कम फूड किऑस्क्स का निर्माण परियोजना पैकेजों के निर्माणकर्ताओं द्वारा किया गया है। इन टॉयलेट ब्लाक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख–रखाव हेतु एजेंसियों का चयन किये जाने हेतु ई–टेण्डर पोर्टल पर निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं। तद्क्रम में ई–टेण्डर पोर्टल पर निम्न 04 एजेंसियो से आवेदन प्राप्त हुए थेः–

1. मेसर्स मन्जूर फास्ट फूड
2. मेसर्स श्री श्याम इन्टर प्राइजेज
3. मेसर्स द कुक
4. मेसर्स ओम जय श्री गणेश पूडी भण्डार एण्ड भोजनालय

निदेशक मण्डल को अग्रेत्तर अवगत कराया गया कि उपरोक्त चारों एजेंसियों के तकनीकी प्रस्तावों के परीक्षणोंपरान्त मेसर्स मन्जूर फास्ट फूड द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा को निविदा अभिलेख की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की अध्यक्षता में गठित 'नामित समिति' द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था तथा अन्य तीन एजेंसियों को तकनीकी रूप से अर्ह पाते हुए 'नामित समिति' द्वारा उनकी वित्तीय निविदायें, निविदा कर्ताओं की उपस्थिति में, दिनांक 10.04.2023 को खोली गयीं थीं जो कि निम्नवत थीं:–

S. No.	Particulars of 'Toilet Block with Food Kiosk'	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the Contract of respective 'Toilet Block with Food Kiosk'			Name of Highest Bidder (H-1)
		M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya	M/s Shree Shyam Enterprises	M/s The Cook	
1.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package II of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 70+500 (RHS)	Rs. 1,12,121.00	Rs. 82,000.00	Rs. 27,000.00	M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya
2.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package III of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 128+500 (LHS)	Rs. 1,12,121.00	Rs. 82,500.00	Rs. 27,000.00	M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya

3.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package IV of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 179+050 (RHS)	Rs. 2,12,121.00	Rs. 85,000.00	Rs. 27,000.00	M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya
4.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package V of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 224+325 (LHS)	**Rs. 2,12,121.00**	Rs. 84,000.00	Rs. 27,000.00	M/s Om Jai Shree Ganesh Puri Bhandar and Bhojnalaya

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार 'नामित समिति' द्वारा मेसर्स ओम जय श्री गणेश पूडी भण्डार एण्ड भोजनालय द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V पर स्थित टॉयलेट ब्लाक्स एवं फूड किऑस्क्स के संचालन तथा रख–रखाव हेतु प्रस्तुत वित्तीय निविदाओं को अधिकतम **(H-1)** पाये जाने के कारण मेसर्स ओम जय श्री गणेश पूडी भण्डार एण्ड भोजनालय को निम्न वित्तीय प्रस्ताव पर चयनित किये जाने की संस्तुती प्रदान की गयी थीः–

S. No.	Particulars of 'Toilet Block with Food Kiosk'	Lump sum amount (inclusive of GST) per month to be paid by the Bidder to the Authority for the Contract of Operation & Maintenance of respective Toilet Block with Food Kiosk
1.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package II of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 70+500 (RHS)	**Rs. 1,12,121.00 (Rupees One Lakh Twelve Thousand One Hundred Twenty One only)**
2.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package III of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 128+500 (LHS)	**Rs. 1,12,121.00 (Rupees One Lakh Twelve Thousand One Hundred Twenty One only)**
3.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package IV of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 179+050 (RHS)	**Rs. 2,12,121.00 (Rupees Two Lakh Twelve Thousand One Hundred Twenty One only)**
4.	Operation & Maintenance of Toilet Block with Food Kiosk in Package V of 'Bundelkhand Expressway' at Chainage 224+325 (LHS)	**Rs. 2,12,121.00 (Rupees Two Lakh Twelve Thousand One Hundred Twenty One only)**

निदेशक मण्डल द्वारा प्राधिकरण की नामित समिति द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों से सहमत होते हुये बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज II, III, IV एवं V पर स्थित 'टॉयलेट ब्लाक्स एवं फूड किऑस्क्स' के संचालन तथा रख–रखाव हेतु उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता मेसर्स श्री गणेश पूडी भण्डार एण्ड भोजनालय को चयनति किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उन्हें 'लेटर ऑफ एवॉर्ड' जारी कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–18:–</u> **<u>डफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लखनऊ नोड में प्रस्तावित ब्रह्मोस के भवन के अनुमोदन हेतु यूपीडा में मानचित्र जमा करने से छूट देने के सम्बन्ध में।</u>**

निदेशक मण्डल द्वारा डफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लखनऊ नोड में प्रस्तावित ब्रह्मोस के भवन के अनुमोदन हेतु यूपीडा में मानचित्र जमा करने से छूट देने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु—19:— **आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण हेतु मे0 आर.जी. बिल्डवेल इंजीनियर्स लि0 के अनुबन्ध के BOQ Item B-2, F-1 एवं F-3 में Variation के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावित वेरिएशन पर बोर्ड द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए, अनुबंध के मदों को यथावत् रखने पर सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा बिन्दु—20:— **मुख्य नोडल अधिकारी, डिफेन्स कॉरिडोर का पदनाम रक्षा सलाहकार किये जाने एवं सेवा शर्तो में परिर्वतन विषयक।**

उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त एयर चीफ मार्शल आर0के0एस0 भदौरिया की डिफेन्स कॉरिडोर में आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिया गया कि एयर चीफ मार्शल आर0के0एस0 भदौरिया का वर्तमान पद मुख्य नोडल अधिकारी, डिफेन्स कॉरिडोर को परिवर्तित करते हुये रक्षा सलाहकार, (अध्यक्ष, यूपीडा) कर दिया जाये एवं उन्हें इस पद पर पूर्व निर्धारित संविदा वेतन रू0 1,63,750.00 प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जायेगा। वे इस **पद पर अवैतनिक रूप से कार्य करेगे।**

रक्षा सलाहकार (डिफेन्स कॉरिडोर) के पद पर उनका आवासीय कार्यालय नोएडा में रहेगा एवं यूपीडा से 01 वाहन उनके साथ सम्बद्ध रहेगी। डिफेन्स कॉरिडोर के कार्य हेतु एयर चीफ मार्शल आर0के0 एस0 भदौरिया, रक्षा सलाहकार (डिफेन्स कॉरिडोर) मुख्यालय लखनऊ अथवा देश के अन्य राज्यों में भ्रमण पर जायेगें तो उन्हें यात्रा भत्ता, वाहन एवं होटल की सुविधा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा यात्रा व्यय एवं भत्तों से सम्बन्धित आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2017 संख्या—190300/1/2017 ई IV के निर्गत आदेशानुसार अनुमन्य होगी।

एजेण्डा बिन्दु—21:— **उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) में संविदा पर तैनात अधिकारियों वं कर्मचारियों के सेवा अनुबंध विस्तार के संबंध में स्थापित प्रकिया एवं अनुबंध विस्तार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।**

यूपीडा में संविदा पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुबन्ध विस्तार प्रस्ताव पर सम्यक् चर्चा उपरान्त अध्यक्ष, निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तर—''ग'' के जिन कर्मियों का अनुबन्ध विस्तार निदेशक मण्डल की 82वीं बोर्ड बैठक (दिनांक 16.05.2023) तक विस्तारित है, का सेवा अनुबंध विस्तार आगामी 01 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया जाये एवं भविष्य में विभागीयहित में सेवा अनुबंध में तीन माह का नोटिस की बाध्यता का प्राविधान सम्मिलित किया जाये जो दोनो ही पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी यदि सेवा अनुबंध अवधि से पूर्व सेवा छोडता है, तो वह कार्यालय को तीन माह पूर्व की नोटिस देगा ताकि विभाग को किसी प्रकार की क्षति न हो एवं पद पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि यूपीडा द्वारा संचालित अन्य परियोजनाओं में तैनात कर्मियों के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था के अनुसार परियोजनाओं की आवश्यकता दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अधिकतम एक वर्ष अथवा परियोजना की टाईमलाईन तक विस्तारित करते हुये आगामी बोर्ड के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तर–'क' एवं 'ख' पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये कर्मियों के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:–

Approval of options of alignment of "Chitrakoot Link Expressway" submitted by the consultant, M/s Chaitanya Projects Consultancy Pvt. Ltd.

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे हेतु चयनित परामर्शी द्वारा उपलब्ध कराए गए संरेखण विकल्पों के सम्बन्ध में माननीय बोर्ड को अवगत कराया गया। निर्देश प्राप्त हुए कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे एवं झांसी लिंक एक्सप्रेसवे हेतु चयनित परामर्शी द्वारा दिए गए संरेखण विकल्पों को तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए निर्देश प्राप्त किया जाएं।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:–

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में यूपीडा द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु स्वीकृत धनराशि से प्राप्त एजेन्सी मद में से यूपीडा द्वारा आवंटित वाहनों के बिलों के भुगतान विषयक।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई एवं यह मत निश्चित किया गया कि वाहनो के भुगतान लंबित होने से परियोजना का कार्य प्रभावित हो सकता है। अतः प्रस्ताव में वाहनों के लंबित बिलों (फरवरी, 2023–अप्रैल, 2023 तक) का भुगतान तत्काल कर दिये जाये एवं वर्तमान में जो वाहन जिनके साथ सम्बद्ध है, जिसकी अनुमति तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारियों द्वारा दी गई थी, यथावत् सम्बद्ध रहेंगी। उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है साथ ही अनुमन्यता निर्धारित करने के लिये समिति के गठन का भी औचित्य नहीं पाया है।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:–

उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का पी0पी0पी0 मोड़ के अन्तर्गत कियान्वयनः भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित जी0एस0टी0 की दरों में अभिवृद्धि किए जाने के फलस्वरूप परियोजना के ग्रुप–I, II, III एवं IV के कन्सेशनेयारों को यूपीडा द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चार ग्रुपों के निर्माण हेतु पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत विकास के सम्बन्ध में तीस वर्ष की कन्सेशन अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जी0एस0टी0 की पूर्व में दर 12 प्रतिशत से दिनांक 18 जुलाई, 2022 से प्रभावी दर 18 प्रतिशत तक बढाए जाने के कारण कन्सेशनेयरों को होने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार का भुगतान निर्माण अवधि में तथा निर्माण प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात शेष कन्सेशन अवधि में संचालन गतिविधियों के सम्बन्ध में होने वाले खर्च, दोनों के लिए यथासमय वास्तविक आधार पर कन्सेशन एग्रीमेंट के आर्टिकिल–41 की शर्तो के आधीन चारों कन्सेशनेयरों को यूपीडा द्वारा समय–समय पर देय धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कन्सेशनेयरों से यह

अपेक्षा की जाए कि वे अपने विषयान्तर्गत दावे सम्बन्धित एकाउंटिंग वर्ष में त्रैमासिक आधार पर यूपीडा को प्रस्तुत करें जिन पर यूपीडा समयबद्ध आधार पर कार्यवाही की जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में होने वाले खर्च की बजट व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश शासन से यथाशीघ्र सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए। इस विषय पर वित्तीय उपाशय के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि आगामी वित्तीय वर्षों में विषयांतर्गत देय राशि की वास्तविक स्थिति का आकलन सम्बन्धित अकाउटिंग वर्ष में ही प्राप्त हो सकेगा, अतः इस हेतु बजट प्रावधान वार्षिक आधार पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही किया जा सकेगा। इस दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि 30 वर्ष की सम्पूर्ण कन्सेशन अवधि हेतु वार्षिक आधार पर वित्तीय आवश्यकताओं के संदर्भ में शासन का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यूपीडा द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही की जाए।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04:–

निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आने वाले सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरें, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं ट्री फेलिंग विषयक चर्चा के सम्बन्ध में।

उपरोक्त 03 बिन्दुओं पर चर्चा की गयी जो निम्नवत् हैः–

1. **संरेखण में आ गंगा एक्सप्रेसवे के रही सिंचाई विभाग की नहरों के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की स्वीकृत मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) एवं बदायूँ सिंचाई परियोजना (निर्माणाधीन) के अन्तर्गत कुछ नहरें, अल्पिकायें, रजवाहें इत्यादि गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण को क्रॉस कर रही हैं। इनमें से अधिकांश स्थलों पर नहर के संरेखण में पड़ने वाली भूमि को सिंचाई विभाग द्वारा क्रय कर लिया गया है तथा नहरों का निर्माण पूर्ण/निमार्णाधीन/प्रस्तावित है। मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक 5311/मुअमगंनप/गंगा एक्स0–वे0/ दिनांक 18.06.2021 द्वारा अवगत कराया है कि मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) वर्ष 2008 से परिचालित है। उन्होने पत्र के साथ मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) हेतु आवश्यक भूमि के रकबों एवं गाटों को संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि क्रय करते समय इन रकबों के अतिरिक्त भूमि का प्रबन्ध किया जाये एवं नहरों के संरेखण में जहाँ गंगा एक्सप्रेसवे काटता है वहाँ नहरों की क्रासिंग पर पुल निर्माण का कार्य गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में समयानुसार सम्मिलित किया जाये।

उल्लेखनीय है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कुल 19 स्थलों का उल्लेख किया गया है जिनमें से **01 स्थल पर कन्सेशन अनुबन्ध के स्कोप में माइनर ब्रिज का निर्माण सम्मिलित है** तथा 01 स्थल पर नहर गंगा एक्सप्रेसवे के समानान्तर निकल जाती है। अवशेष 17 स्थलों पर कन्सेशन अनुबन्ध के स्कोप में नहरों को क्रॉस करने हेतु किसी संरचना का निर्माण सम्मिलित नहीं है।

स्वीकृत नहर परियोजनाओं की नहरें गंगा एक्सप्रेसवे के निम्नलिखित चैनेज पर क्रॉस करती हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:—

क्र0 सं0	ग्रुप सं0	विकासकर्ता का नाम	गंगा एक्सप्रेसवे के चैनेज	नहर का नाम	सिंचाई विभाग के सम्बन्धित वृत्त/खण्ड का नाम	परियोजना का नाम
1	I	मे0 मेरठ बदायूँ एक्सप्रेसवे लि0	074+940	हसनपुर रजवाहा	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—14, गढ़मुक्तेश्वर।	मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण)।
2			083+750	सोहत अल्पिका	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—04, अमरोहा।	
3			083+900	उझारी स्केप	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—08, मेरठ।	
4			085+550	ताजपुर माइनर	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—13, गढ़मुक्तेश्वर।	
5			086+600	उझारी रजवाहा	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—13, गढ़मुक्तेश्वर।	
6	I	मे0 मेरठ बदायूँ एक्सप्रेसवे लि0	094+850	ततारपुर अल्पिका	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—08 बुलन्दशहर।	मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण)।
7			096+440	काकापुर अल्पिका	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—08 बुलन्दशहर।	
8			098+020	कमालपुर रजवाहा	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—08 बुलन्दशहर।	
9			111+830	टेल स्केप	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—08 बुलन्दशहर।	
10			117+200	राजपुर अल्पिका	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—07 बिजनौर।	
11			119+600	बेहटा अल्पिका	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—07 बिजनौर।	
12			124+200	मडनपुर अल्पिका	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—07 बिजनौर।	
13			125+700	रायपुर अल्पिका	मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—07 बिजनौर।	
14	II	मे0 बदायूँ हरदोई रोड प्रा0 लि0	200+000	तुगलापुर माइनर	अधीक्षण अभियन्ता बाढ़ खण्ड मण्डल—बरेली।	बदायूँ सिंचाई परियोजना।
15			200+896 201+050 (Skew)	महरौली रजवाहा	अधीक्षण अभियन्ता बाढ़ खण्ड मण्डल—बरेली।	
16			214+000	कलौरा माइनर	अधीक्षण अभियन्ता बाढ़ खण्ड मण्डल—बरेली।	
17			215+050	चम्पतपुर शाखा	अधीक्षण अभियन्ता बाढ़ खण्ड मण्डल—बरेली।	

कन्सेशन अनुबन्ध के प्रस्तर 16.1.1 में व्यवस्था दी गयी है:—

The Authority may, Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, require the provision of additional works and service which are not included in the Scope of the project as contemplated by this Agreement ("Change of Scope") Any such Change of Scope shall be made in accordance with the provisions of this Article 16 and the costs thereof shall be expended by the Concessionaire and reimbursed to it by the Authority in accordance with Clause 16.3.

कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त 17 नहरों को क्रॉस करने वाली संरचनाओं का निर्माण जो कन्शेसन अनुबंध के स्कोप में सम्मिलित नहीं हैं, को अनुबंध के प्रस्तर 16 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवहृत करने का प्रस्ताव दिया गया।

अतः क्रासिंग स्थलों पर यदि नहर निर्माण में यूपीडा द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से कराया जाना तथा क्रास करने वाली संरचनाओं का निर्माण कन्सेशन अनुबन्ध के शर्तो के अधीन चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत व्यवहृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. **<u>गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रही यूटिलिटीज के शिफ्टिंग पर चर्चा।</u>**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण के मध्य पड़ने वाली वितरण व पारेषण के विद्युत लाईनों के अवरोध।

विद्युत लाइनों के विस्थापन की वर्तमान प्रगति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि कुल 807 वितरण सम्बंधी लाईनों में से 768 का विस्थापन किया जा चुका है, तथा 54 विद्युत पारेषण लाईनों में से 45 विद्युत लाईनों का विस्थापन किया जा चुका है।

यह भी अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के मद में कुल रू0 600 करोड़ प्राविधानित है। किन्तु समस्त यूटिलिटीज के विस्थापन हेतु लगभग रू0 855.19 करोड़ की धनराशि वांछित है। जिसके भुगतान हेतु यूपीडा द्वारा रू0 255.19 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय प्रबन्ध अपेक्षित है।

निदेशक मण्डल द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु शासन स्तर से मांग प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. **<u>गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रहे पेड़ों के कटान की प्रगति के सम्बन्ध में।</u>**

गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रहे पेड़ों के कटान की प्रगति के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया। जनपद मेरठ में अधिग्रहित की गयी भूमि पर 371 वृक्षों के पातन के सम्बंध में अवगत कराया गया कि कार्यवाही हेतु उक्त जिलाधिकारी मेरठ द्वारा दिनांक 16.05.2023 को नीलामी की सूचना विज्ञापित की गयी है। नीलाम होते ही 07 दिन के अन्दर वृक्ष कट जायेगें।

जनपद–हापुड़ में 128 वृक्ष जो वन विभाग के हैं के पातन की अनुमति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है। अनुमति प्राप्त होते ही उ0प्र0 वन निगम को कटान/ढुलान पर होने वाले व्यय की धनराशि को यूपीडा के द्वारा जमा कराकर 01 सप्ताह के अन्दर पेड़ों का कटान पूर्ण कर लिया जायेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे के ग्रुप–2, 3 एवं 4 में आर0ओ0डब्लू0 क्षेत्र में वृक्षों का कटान लगभग पूर्ण कर लिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में कुल 193241 बाधक वृक्षों के सापेक्ष 192374 वृक्ष काटे जा चुके हैं। पेड़ों के कटान की उक्त प्रगति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा पेड़ों के कटान की प्रगति को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्यालय एवं परियोजना के कार्यो के दिन प्रतिदिन के वित्तीय प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु आने वाली कठिनाईयों की चर्चा की गई एवं यह निश्चित किया गया कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारों के अतिरिक्त वित्तीय अधिकार भी दिये जाने चाहिए। वर्तमान में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रू0 01 लाख तक की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार प्रदत्त है, जिसे निदेशक मण्डल की आम सहमति से बढ़ा कर रू0 दस लाख किया गया है।

अंत में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.05.2023 को सम्पन्न हुई 82वीं बोर्ड बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 24.05.2023 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं
सहायक सदस्य–सचिव, यूपीडा निदेशक मण्डल